रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102020-222810
CG-DL-E-29102020-222810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3423] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2020/ कार्तिक 6, 1942
No. 3423] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/ KARTIKA 6, 1942

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3877(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 207 (अ), तारीख 13 जनवरी, 2020, द्वारा एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 15 जनवरी, 2020, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, चपराला वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित है और क्षेत्र का उल्लेख दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में प्रमुख प्रजातियों के रूप में सागौन के साथ किया जाता है;

और, चपराला वन्यजीव अभयारण्य को महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना संख्या डब्ल्यूएलपी-1085/सी.आर.75/एफ-5 तारीख 25 फरवरी, 1986 में अधिसूचित किया गया था और वन्यजीव अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 134.78 वर्ग किलोमीटर है;

और, चपराला वन्यजीव अभयारण्य में बहुत उच्च जीवजंतु और वनस्पति विविधता है, जिनमें प्रवासी और जलीय पक्षी सहित स्तनधारियों की लगभग 39 प्रजातियां और पक्षियों की भी लगभग 193 प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र का विशिष्ट पशु भारतीय जिएंट गिलहरी है;

और, चपराला वन्यजीव अभयारण्य की मुख्य वनस्पति में बीजा (*पेरोकार्पस मार्सुपियम*), बबूल(*अकाकिया नीलोटिका*), हल्दू (*हल्दीना कॉर्डिफ़ोलिया*), गोंगल (*कोक्लोस्पर्मम रेलीगिओसम*), अर्जुन (*टर्मिनलिया अर्जुन*), खुम्भी (*कैर्या आर्बोरिया*), लोखंडी (*एक्सोरा-अरबोरेया*), पेयर (*फिकस रुमफी*),नीम (*अज़दिराच्टा इंडिका*), काकड़ (*गरुगा पिन्नाटा*), काला उम्बेर (*फिकस हेस्पिडा*),कुसुम (*श्लीकेरा ओलेओसा*), पापरा (*होलोप्टल्ट इंटीग्रिफोलिया*), सलाई (*बोसवेलिया सेराटा*), शिवन (*गेललीना आर्बोरिया*), आल (*मोरिंडा सिट्रिफ़ोलिया*), भारती (*माय्टेनस इमरगिंटा*), गुरमुखी (*ग्रेविया हिरसुटे*), जिने (*लीया क्रिस्पा*), कोरील(*पेटालिडियम बेरलेरियोइड्स*), कूडा (*होलेरहेना पुबस्केंस*), नील (*इंडिगोफेरा टिनक्टोरिया*),तरवाड़ (*कैसिया औरीकुलाटा*), घोंद (*थेस्पा त्रिंद्रा*), चिर (*इम्पेराटा ऑफिसिनैलिस*), शेडा (*सेहिमा नर्वोसुम*), बांदके (*डेंड्राप्टो फाल्केट*), धिमारवल (*सेलास्ट्रस पैनीकुलाटा*), कजकुरी (*मुकुना प्रूयेंस*), माहुलवेल (*बौहिनिया वाहली*), शतावरी (एस्पारागुस रसीमोसस), वांडा (*वांडा टेसेलटाटा*), अलिचेटु (*एनामस गोडवेरेन्सिस*), आदि शामिल हैं;

और, क्षेत्र महत्वपूर्ण वन्यजीवों का भी आश्रय स्थल है जिसमें स्तनधारी जैसे-हनुमान लंगूर (*प्रेस्बाट्टिस एंटेलस*), टाइगर (*पैंथर टाइग्रिस टाइग्रिस*), तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*), रेगिस्तानी बिल्ली (*फेलिस लीबिका*), छोटी भारतीय कीवी (*विवरिकुला इंडिका*), धारीदार लकड़बग्घा (*हाइना हाईना*), रीछ (*मेलुरस अरसिनस*),इंडियन ट्री श्रेव (*अनाथना इलियोटी*), फ्लाइंग फॉक्स (*पेटरोपस गिगैनटेयस*), बैन्डीकूटचूहा (*बैन्डीकूटा इंडिका*), चार सींग वाले मृग (*टेटरासेरस क्वाडरिकोनिस*), चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), सांभर (*करवस यूनिकोलर*), आदि शामिल हैं;

और, चपराला वन्यजीव अभयारण्य से मुख्य पक्षी प्रजातियां छोटा ग्रीब (*पोडिसेप्स रूफिकोलिस*), पेंटेड स्ट्रोक(*माइक्टेरिया ल्यूकोसेफला*), ओपनबिल स्टॉर्क (*एनास्टोमस ऑसिटिटंस*),लिटिल कॉर्मोरेंट (*फलाक्रोकॉरैक्स नाइगर*), लिटिल एग्रेट (*एग्रेटा गार्जेटा*), ग्रे हेरॉन (*आर्डेया सिनेरिया*), भारतीय शिकारा (*एसिपिटेर बैडियस*), ग्रे जंगलफाउल(*गैलस सोनेराटी*), ब्लैक विंगड काइट (*एलानस कैरुलेयस*), सामान्य चैती (*एनस क्रेक्का*), ब्राह्मिणीकाइट (*हलीस्टुर इंडस*), लाल-नेबेड इबिस (*स्यूडिबिस पेपिलोसा*), सॉर्ट क्रेन (*एंटीगॉन एंटीगॉन*), फिसंट-टेल्ड जैकेन (*हाइड्रोफासिंनस चिरुर्गस*), व्हाइट-ब्रेस्टेड वाटरहेन (*अमौरोर्निस फोनीइकुरस*),स्टोन-कर्लेव (*बुरहिनस ओडेक्सेनमस*), कॉमन किंगफिशर (*एलेडेसो एथिस*), हाउस स्विफ्ट (*एपस निपलेंसिस*), ग्रीन बी-ईटर (*मेरोप्स ओरिएंटलिस*), ब्लॉसम-हेडेड पैराकेट्स (*सिटासुला रोजेटा*), ग्रेट हॉर्नबिल (*बिस्टेरोस बाइस्कोर्निस*), क्रेस्टेड लार्क(*गैलेरिडा क्रिस्टाटा*), गोल्डन ओरियोल (*ओरोलस कुंडू*),टेलोरबर्ड (*ऑर्थोटोमस सुटोरियस*), ग्रीन मुनिया (*अमंडवा फॉर्मोसा*), हाउस स्पैरो (*पैसर डोमेस्टिकस*), इंडियन स्पॉट-बिल्ड डक (*अनस पॉसीलोरिन्चा*), ओस्प्रे (*पंडियन हेलियाटस*), ग्रेट हॉर्नड उल्लू (*बुबो वर्जिनियनस*), ब्लू थ्रोट (*लुसिनिया स्वेसिका*),येलो-फूटेड ग्रीन कबूतर (*ट्रेरोन फ़ोनीकोप्टेरा*),ग्लॉसी इबिस (*पेल्डिस फाल्सीनेलस*), ब्लैक-टेल्ड गॉडविट (*लिमोसा लिमोसा*), कॉमन

केस्ट्रेल (*फाल्को टिनिनकुलस*), येलो वेगटेल (*मोटासिला फ्लेवा*), बया विवर (*प्लियोसस फिलिपिनस*), मैगपाई रॉबिन (*कोपसीचस सैलारिस*), आदि अभिलिखित की गई हैं;

और, चपराला वन्यजीव अभयारण्य में स्वच्छ जल की मछलियां रोहू (*लबियो रोहिता*), बम (*एंगुइला एंगुइला*), कतला (*कतला कतला*), कटवा (*रीटा रीटा*), मगुर (*क्लारस बैट्रैचस*), पटोला (*नॉटोपोटेरस चीतल*), आदि पाई जाती हैं;

और, चपराला वन्यजीव अभयारण्य में तितलियों और पतंगों की प्रजातियां स्पॉट स्वोर्ड टेल, टेल्ड जय, ब्लू मॉर्मन, सामान्य माइम, फीचे, येलो ऑरेंज ट्रीप, इंडियन कैबेज व्हाइट, पायनियर, नींबू इमिग्रेंट, सामान्य अकाकियाब्लू, ज़ेबरा ब्लू, सामान्य सेरुलियन, पेल ग्रास ब्लू, सामान्य बुश ब्राउन, सामान्य हेज ब्लू, डार्क बैंड बुश ब्राउन, डार्क ईवनिंग ब्राउन, निगर, बैरनेट, ब्लैक रजाह, टैब्बी, ग्रे पैनसी, एंगल्ड कैस्टर, डेनैड एग फ्लाई, सामान्य टाइगर, ग्लासी टाइगर, डार्क पाम डार्ट, ग्रास डेमोन, ब्लैंक स्विफ्ट, आदि उपलब्ध हैं;

और, उपर्युक्त अभयारण्य मानव आवास और चल रही विकासात्मक क्रियाकलापों के अति निकट होने से अभयारण्य के लिए, उचित सुरक्षा उपायों और ऐसी क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है;

और, चपराला वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिला के चपराला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 5.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को चपराला वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार चपराला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 5.0 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 166.55 वर्ग किलोमीटर है।

(अभयारण्य के पश्चिमी भाग पर पारिस्थितिकी-संवेदी जोन प्रणहिता नदी और तेलंगाना राज्य सीमा के कारण और दक्षिण-पश्चिमी भाग के अष्टी और येलुर के ग्राम क्षेत्र के कारण शून्य है। इसके बाद, केनगंगा नदी इन ग्रामों की सीमा के साथ बहती है)।

(2) चपराला वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सीमांकित होते हुए चपराला वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख** और **उपाबंध-IIग** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और चपराला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी:-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग; और
(xii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

IndiaCode

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्रों के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कृत्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर

IndiaCode

आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

IndiaCode

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय आकलन निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।

3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे: परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई

		हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित ।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।

IndiaCode

	मछली पालन ।	
22.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	नए होटल और लॉज के विद्यमान परिसर की बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	पवन चक्कियां और टरबाइन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति का संविधान**	**पद**
(i)	जिला कलेक्टर, गढ़चिरौली	अध्यक्ष,पदेन;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	शहर योजना अधिकारी का एक प्रतिनिधि, गढ़चिरौली	सदस्य;
(v)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	राज्य जैवविविधता बोर्ड का एक सदस्य	सदस्य;
(vii)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुंबई	सदस्य;
(viii)	महाराष्ट्र सरकार के राजस्व / पुलिस /पी.डब्लू.डी / उद्योग/ जल संसाधन/ शहरी विकास और ग्रामीण विकास के प्रत्येक के प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	उप प्रभागीय वनाधिकारी (वन्यजीव), अल्लापल्ली	सदस्य;
(x)	प्रभागीय प्रबंधक, मार्खंडा, महाराष्ट्र वन विकास महामंडल (एफडीसीएम)	सदस्य;
(xi)	उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), अलापल्ली	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और तत्पश्चात् निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ) 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमो या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध-V में संलग्न प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/23/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

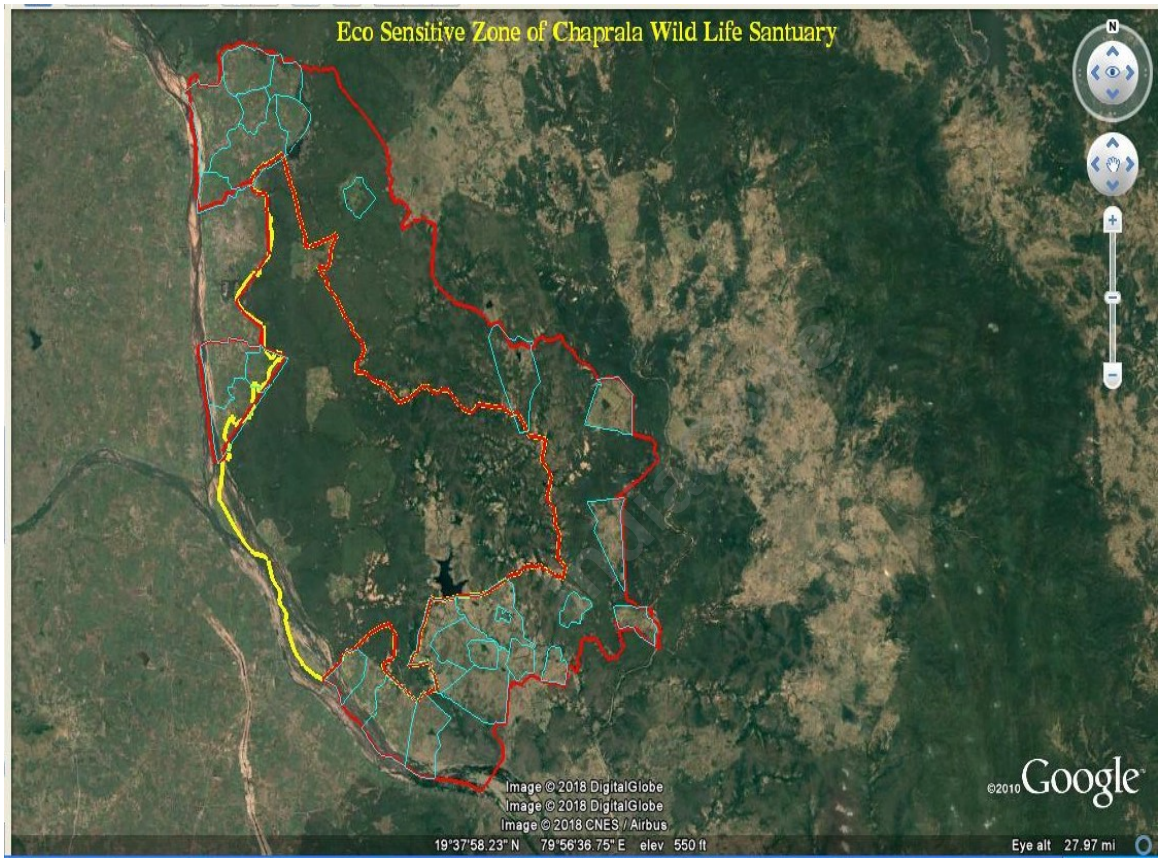
महाराष्ट्र राज्य में चपराला वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पश्चिमी स्थल निर्देशांक बेयरिंग अक्षांश 19°43'26" उ, देशांतर 79°47'04 "पू के वेनगंगा नदी के जंक्शन से आरंभ होकर और इसके बाद पूर्वी भाग के रामपुर एवं कन्हौली ग्राम के जंक्शन बिंदु के उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ती है। इसके बाद दक्षिणी स्थल के उमरी और कन्हौली ग्राम सीमा जंक्शन बिंदु के उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़ती है। इसके बाद यह सी. सं. 188 के उत्तर की ओर मुड़ कर और इसके बाद पुनः पूर्वी भाग के सी. सं. 223 एवं 225 की ओर जाती है। इसके बाद, यह सी. सं. 290 एवं लोहारा ग्राम की सीमा के उत्तर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद, यह सी.एन. 344 एवं मल्लेरा ग्राम की सीमा के दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह पुनः दक्षिणी दिशा में सी. सं. 597, 594 की ओर सीधे जाती है। इसके बाद यह पश्चिमी दिशा में सी. सं. 592 एवं तुमरगुंडा ग्राम सीमा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह अल्लापल्ली-चद्रापुर सड़क (एस.एच) को पार करके जाती है और इसके बाद सी. सं. 588 एवं 887 के जंक्शन बिंदु पर दक्षिण की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह सी. सं. 241 एवं 242 के प्रणहिता नदी की सीमा के साथ उत्तरी भाग की ओर मुड़ती है।इसके बाद यह इल्लूर ग्राम सीमा के उत्तरी भाग की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह अष्टी-नोकेवाडा ग्राम की ओर पूर्व में मुड़ती है। इसके बाद यह आरंभिक बिंदु के वेनगंगा नदी के साथ वापस उत्तरी स्थल की ओर मुड़ती है।

IndiaCode

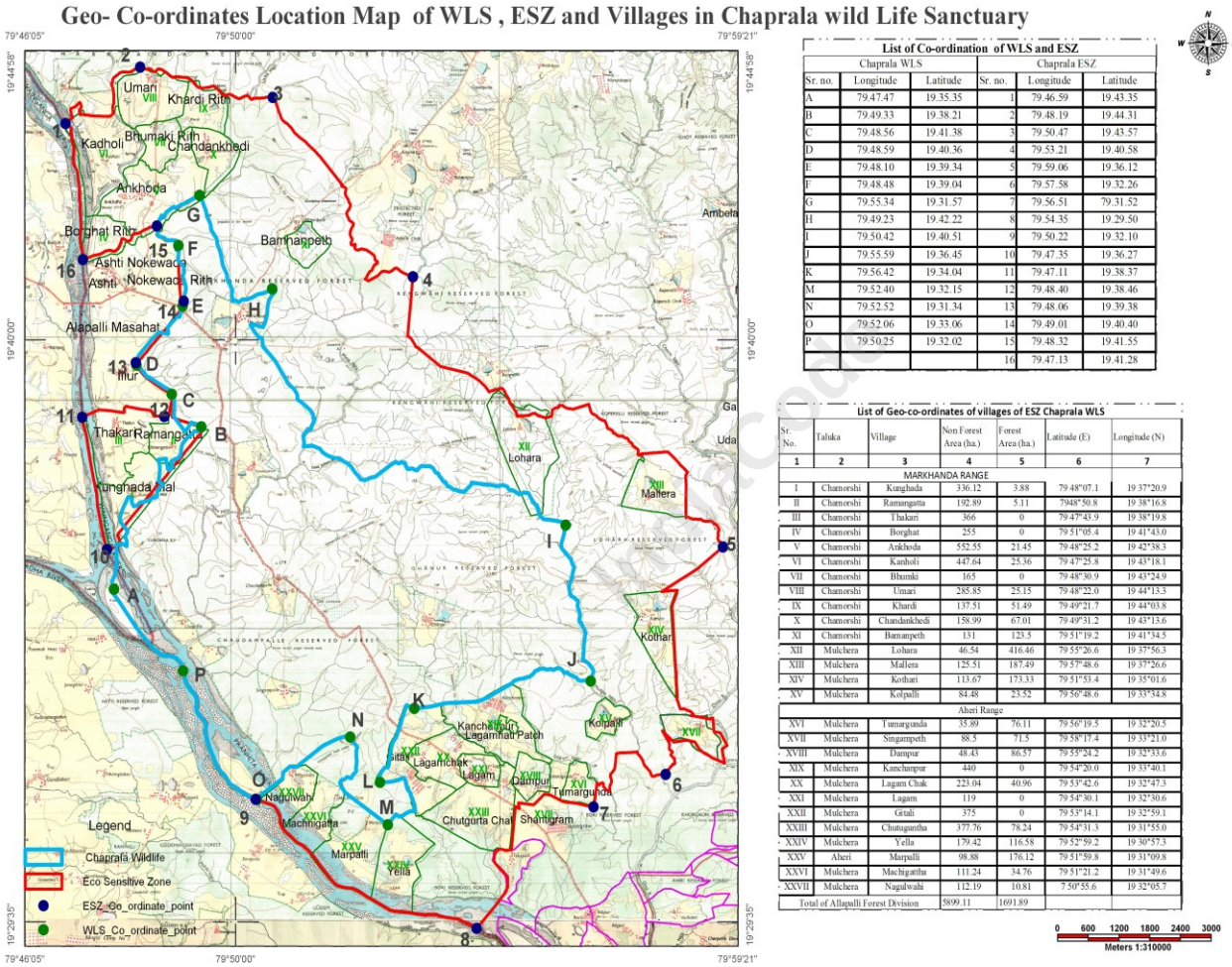
उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चपराला वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



उपाबंध- IIख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चपराला वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



List of Co-ordination of WLS and ESZ

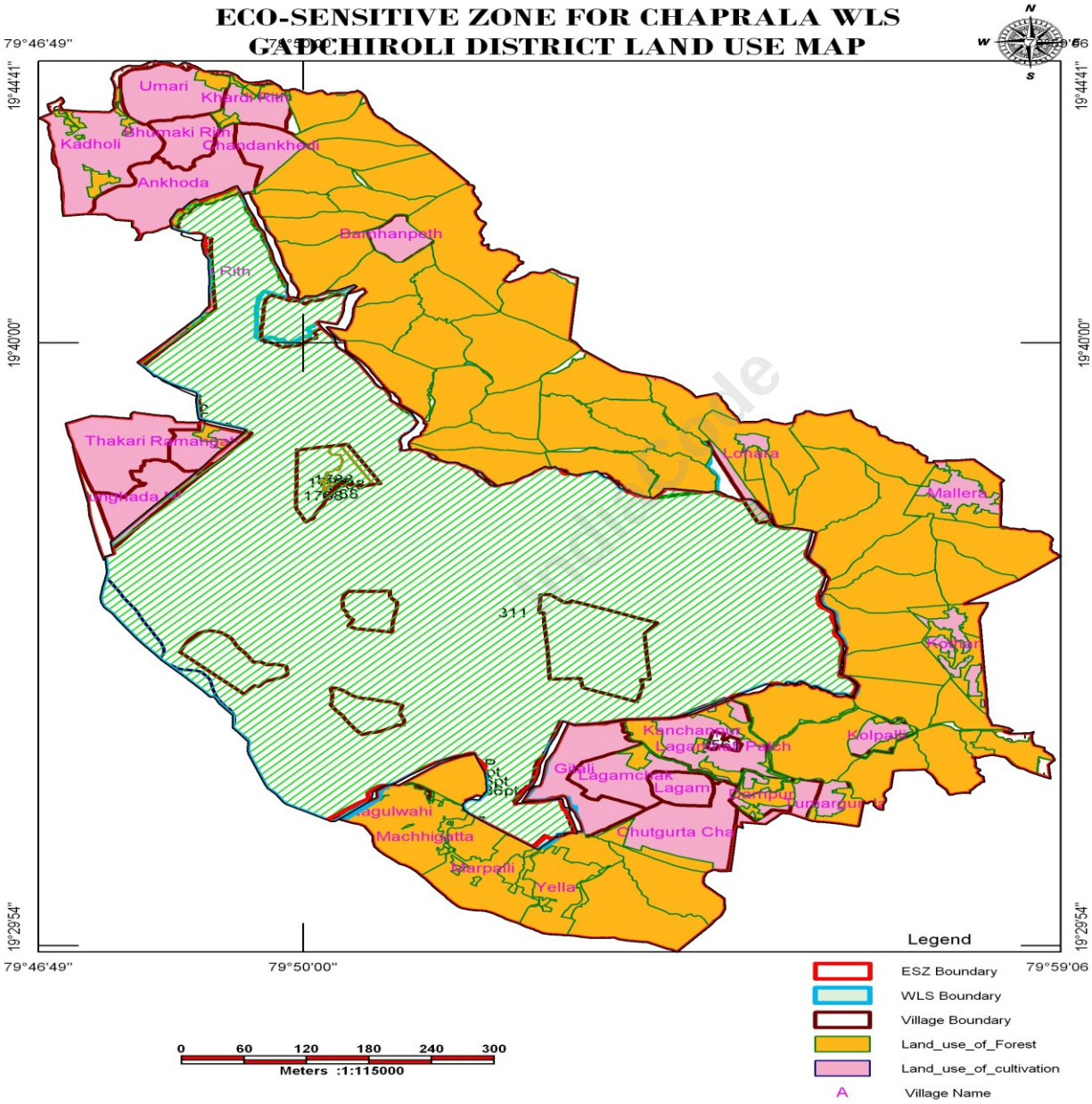
Chaprala WLS			Chaprala ESZ		
Sr. no.	Longitude	Latitude	Sr. no.	Longitude	Latitude
A	79.47.47	19.35.35	1	79.46.59	19.43.35
B	79.49.33	19.38.21	2	79.48.19	19.44.31
C	79.48.56	19.41.38	3	79.50.47	19.43.57
D	79.48.59	19.40.36	4	79.53.21	19.40.58
E	79.48.10	19.39.34	5	79.59.06	19.36.12
F	79.48.48	19.39.04	6	79.57.58	19.32.26
G	79.55.34	19.31.57	7	79.56.51	19.31.52
H	79.49.23	19.42.22	8	79.54.35	19.29.50
I	79.50.42	19.40.51	9	79.50.22	19.32.10
J	79.55.59	19.36.45	10	79.47.35	19.36.27
K	79.56.42	19.34.04	11	79.47.11	19.38.37
M	79.52.40	19.32.15	12	79.48.40	19.38.46
N	79.52.52	19.31.34	13	79.48.06	19.39.38
O	79.52.06	19.33.06	14	79.49.01	19.40.40
P	79.50.25	19.32.02	15	79.48.32	19.41.55
			16	79.47.13	19.41.28

List of Geo-co-ordinates of villages of ESZ Chaprala WLS

Sr. No.	Taluka	Village	Non Forest Area (ha.)	Forest Area (ha.)	Latitude (E)	Longitude (N)
1	2	3	4	5	6	7
MARKHANDA RANGE						
I	Chamorshi	Kunghada	336.12	3.88	79 48"07.1	19 37"20.9
II	Chamorshi	Ramangatta	192.89	5.11	7948"50.8	19 38"16.8
III	Chamorshi	Thakari	366	0	79 47"43.9	19 38"19.8
IV	Chamorshi	Borghat	255	0	79 51"05.4	19 41"43.0
V	Chamorshi	Ankhoda	552.55	21.45	79 48"25.2	19 42"38.3
VI	Chamorshi	Kanholi	447.64	25.36	79 47"25.8	19 43"18.1
VII	Chamorshi	Bhumki	165	0	79 48"30.9	19 43"24.9
VIII	Chamorshi	Umari	285.85	25.15	79 48"22.0	19 44"13.3
IX	Chamorshi	Khardi	137.51	51.49	79 49"21.7	19 44"03.8
X	Chamorshi	Chandankhedi	158.99	67.01	79 49"31.2	19 43"13.6
XI	Chamorshi	Bamanpeth	131	123.5	79 51"19.2	19 41"34.5
XII	Mulchera	Lohara	46.54	416.46	79 55"26.6	19 37"56.3
XIII	Mulchera	Mallera	125.51	187.49	79 57"48.6	19 37"26.6
XIV	Mulchera	Kothari	113.67	173.33	79 51"53.4	19 35"01.6
XV	Mulchera	Kolpalli	84.48	23.52	79 56"48.6	19 33"34.8
Aheri Range						
XVI	Mulchera	Tumargunda	35.89	76.11	79 56"19.5	19 32"20.5
XVII	Mulchera	Singampeth	88.5	71.5	79 58"17.4	19 33"21.0
XVIII	Mulchera	Dampur	48.43	86.57	79 55"24.2	19 32"33.6
XIX	Mulchera	Kancharpur	440	0	79 54"20.0	19 33"40.1
XX	Mulchera	Lagam Chak	223.04	40.96	79 53"42.6	19 32"47.3
XXI	Mulchera	Lagam	119	0	79 54"30.1	19 32"30.6
XXII	Mulchera	Gitali	375	0	79 53"14.1	19 32"59.1
XXIII	Mulchera	Chutgurtha	377.76	78.24	79 54"31.3	19 31"55.0
XXIV	Mulchera	Yella	179.42	116.58	79 52"59.2	19 30"57.3
XXV	Aheri	Marpalli	98.88	176.12	79 51"59.8	19 31"09.8
XXVI	Mulchera	Machigatha	111.24	34.76	79 51"21.2	19 31"49.6
XXVII	Mulchera	Nagulwahi	112.19	10.81	7.50"55.6	19 32"05.7
Total of Allapalli Forest Division			5899.11	1691.89		

उपाबंध- IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चपराला वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: चपराला वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	बिंदु	अक्षांश	देशांतर
1	ए	19°35'35" उ	79°47'47" पू
2	बी	19°38'21" उ	79°49'33" पू

3	सी	19°42'22" उ	79°49'23" पू
4	डी	19°40'51" उ	79°50'42" पू
5	ई	19°36'45" उ	79°55'59" पू
6	एफ	19°34'04" उ	79°56'42" पू
7	जी	19°32'15" उ	79°52'40" पू
8	एच	19°31'34" उ	79°52'52" पू
9	आई	19°33'06" उ	79°52'06" पू
10	जे	19°32'02" उ	79°50'25" पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	बिंदु सं	अक्षांश	देशांतर
1	अल्लापल्ली एवं वैन गंगा नदी के जंक्शन से	19°43'26" उ	79°47'04" पू
	रामपुर एवं कन्हौली	19°43'49" उ	79°47'48"पू
2	उमरी एवं कन्हौली	19°43'49" उ	79°47'48" पू
	सी. सं. 188	19°44'19" उ	79°47'47" पू
3	सी. सं.188 एवं उमरी	19°44'19" उ	79°47'47 "पू
	सी. सं. 223 एवं 225	19°44'06" उ	79°50'48" पू
4	सी. सं. 223 एवं 225	19°44'06" उ	79°50'48" पू
	सी. सं. 290 एवं लोहारा	19°38'38" उ	79°55'23" पू
5	सी. सं. 290 एवं लोहारा	19°38'38 "उ	79°55'23" पू
	सी. सं.344 एवं मल्लेरा	19°31'55" उ	79°56'45 "पू
6	सी.सं. 344,345 एवं मल्लेरा	19°31'55" उ	79°56'45" पू
	सी. सं. 597,594	19°32'49" उ	79°57'34 "पू
7	सी. सं. 597,594	19°32'49" उ	79°57'34" पू
	तुमारगुण्डा एवं सी. सं. 592	19°31'55" उ	79°56'45" पू
8	तुमारगुण्डा एवं सी. सं. 592	19°29'51" उ	79°56'45 "पू
	सी.सं. 588 एवं 590	19°31'55" उ	79°54'34 "पू
9	सी.सं. 588 एवं 887	19°31'55" उ	79 °54'34" पू
	सी.सं. 241, 242	19°35'48" उ	79°47'47 "पू
10	सी. सं. 241, 242	19°31'55" उ	79°54'34" पू
	थाकरी एवं इल्लूर	19°38'38" उ	79°48'33"पू
11	इल्लूर	19°38'38" उ	79°48'33" पू
	अँखोदा एवं आष्टी नोकेवाड़ा	19°47'47" उ	79°48'19 "पू
12	अँखोदा एवं आष्टी नोकेवाड़ा	19°47'47 "उ	79°48'19" पू

IndiaCode

	अँखोदा	19°41'19" उ	79°47'15 "पू
13	अँखोदा	19°41'19" उ	79°47'15 "पू
	कन्हौली एवं रामपुर	19°43'26" उ	79°47'04 "पू

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ चपराला वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	तालुका	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1	चामोर्शी	कुंघडा	19°37'16.1" उ	79°47'57.6" पू
2	चामोर्शी	रामनगट्टा	19°38'17.6" उ	79°48'47.6" पू
3	चामोर्शी	थकारी	19°38'14.1" उ	79°47'43.6" पू
4	चामोर्शी	बमन्पेथ	19°41'41.0" उ	79°51'08.1" पू
5	चामोर्शी	भुमकी	19°43'23.1" उ	79°48'36.4" पू
6	चामोर्शी	उमारी	19°44'09.6" उ	79°48'19.6" पू
7	चामोर्शी	अंखोदा	19°42'31.0" उ	79°48'22.1" पू
8	चामोर्शी	कन्होली	19°43'07.0" उ	79°47'23.0" पू
9	चामोर्शी	चंदनखेडी	19°43'09.8" उ	79°49'29.6" पू
10	चामोर्शी	खरदी	19°43'54.9" उ	79°49'27.8" पू
11	मूलचेरा	मल्लेरा	19°37'27.6" उ	79°57'52.5" पू
12	मूलचेरा	काशीपेथ	19°33'52.7" उ	79°57'39.9" पू
13	मूलचेरा	कोठारी	19°35'00.1" उ	79°57'49.0" पू
14	मूलचेरा	कोलपाल्ली	19°33'28.2" उ	79°56'54.8" पू
15	मूलचेरा	लोहारा	19°38'08.2" उ	79°55'20.5" पू
16	मूलचेरा	कंचनपुर	19°33'32.1" उ	79°54'37.1" पू
17	मूलचेरा	लगाम चक	19°33'02.4" उ	79°53'58.3" पू
18	मूलचेरा	लगाम	19°32'36.8" उ	79°54'38.2" पू
19	मूलचेरा	ककरगट्टा	19°33'31.4" उ	79°53'41.6" पू
20	मूलचेरा	गीताली	19°32'40.0" उ	79°53'04.5" पू
21	मूलचेरा	चुटुगुंथा	19°31'51.8" उ	79°54'23.5" पू
22	मूलचेरा	तुमारगुंडा	19°32'18.0" उ	79°56'24.4" पू
23	मूलचेरा	दम्मपुर	19°32'31.6" उ	79°55'26.4" पू
24	मूलचेरा	सिंगमपेथ	19°33'17.7" उ	79°58'16.3" पू
25	मूलचेरा	येल्ला	19°31'10.2" उ	79°52'58.2" पू
26	अहेरी	मारपल्ली	19°31'16.8" उ	79°52'06.5" पू
27	मूलचेरा	मचिगात्था	19°31'41.3" उ	79°51'27.0" पू

IndiaCode

28	मूलचेरा	नागुलवाही	19°32'11.3" उ	79°50'59.4" पू

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3877(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 207 (E), dated the 13th January, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 15th January, 2020;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Chaprala Wildlife Sanctuary is located in Gadchiroli District of Maharashtra and the area is represented by Southern tropical Dry Deciduous Forests with teak as dominants species;

AND WHEREAS, Chaprala Wildlife Sanctuary was notified *vide* notification of the State Government of Maharashtra number WLP.-1085 /C.R.75/ F-5 dated the 25th February, 1986 and the total area of the Wildlife Sanctuary is 134.78 square kilometers;

AND WHEREAS, the Chaprala Wildlife Sanctuary has very high faunal and floral diversity with about 39 species of mammals and also about 193 species of birds including migratory and water birds. India giant squirrel is typical animal of this area;

AND WHEREAS, major flora of the Chaprala Wildlife Sanctuary includes bija (*Pterocarpus Marsupium*), babul (*Acacia nilotica*), haldu (*Haldina cordifolia*), gongal (*Cochlospermum religiosum),* arjun (*Terminalia arjuna),* khumbhi (*Careya arborea),* lokhandi (*Ixora arborea*), pair *(Ficus rumphii*), neem (*Azadirachta indica*), Kakad (*Garuga pinnata*), kala umber (*Fiscus hispida*), kusum (*Schleichera oleosa*), papra (*Holoptlea integrifolia*), salai (*Boswellia serrata*), shivan (*Gmelina arborea*), aal (*Morinda citrifolia*), bharati (*Maytenus emarginta*), gurmukhi (*Grewia hirsute*), jine (*Leea crispa*), koril (*Petalidium barlerioides*), kuda*(Holarrhena pubescens*), neel (*Indigofera*

tinctoria), tarwad (*Cassia auriculata*), ghonad (*Themeda triandra*),chir (*Imperata officinalis*), sheda (*Sehima nervosum*), Bandke (*Dendropthoe falcate*), dhimarval (*Celastrus paniculata*), kajkuri (*Mukuna pruriens*), mahulvel (*Bauhinia vahlii*), Shataori *(Asparagus recemosus*), vanda (*Vanda tesellata*), alichettu *(Eonymus godaverensis*), etc;

AND WHEREAS, the area also supports important wildlife including mammals such as Hanuman langur (*Presbvtis entellus*), tiger *(Panther tigris tigris*),leopard (*Panthera pardus*),desert cat (*Felis libyca*), small Indian civet (*Viverricula indica*), stripted hyena (*Hyaena hyaena*), sloth bear (*Melursus ursinus*), Indian tree shrew (*Anathana ellioti*), flying fox (*Pteropus giganteus*), bandicoot rat (*Bandicota indica*),four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), spotted dear (*Axis axis*),sambhar (*Cervus unicolor*), etc;

AND WHEREAS, major bird species recorded from the Chaprala Wildlife Sanctuary are little grebe(*Podiceps ruficollis*), painted stork (*Mycteria leucocephala*), openbill stork (*Anastomus oscitans*) little cormorant (*Phalacrocorax niger*), little egret (*Egretta garzetta*), grey heron (*Ardea cinerea*), Indian shikra (*Accipiter badius*), grey junglefowl (*Gallus sonneratii*), black-winged kite (*Elanus caeruleus*) , common teal (Anas crecca), brahminy kite (*Haliastur indus*), red-naped ibis (*Pseudibis papillosa*), sarus crane (*Antigone antigone*), pheasant-tailed jacana (*Hydrophasianus chirurgus*), white-breasted waterhen (*Amaurornis phoenicurus*), stone-curlew (Burhinus*oedicnemus*) , common kingfisher *(Alcedo atthis*), house swift (*Apus nipalensis*), green bee-eater (*Merops orientalis*), Blossom-headed Parakeets *(Psittacula roseata*), great hornbill (*Buceros bicornis*), crested lark (*Galerida cristata*), golden oriole (*Oriolus kundoo*), tailorbird (*Orthotomus* sutorius), green munia (*Amandava formosa*), house sparrow (*Passer domesticus*), Indian spot-billed duck (*Anas poecilorhyncha*), osprey *(Pandion haliaetus*), great horned owl (*Bubo virginianus),* bluethroat *(*Luscinia svecica), yellow-footed green pigeon (*Treron phoenicoptera),* glossy ibis *(Plegadis falcinellus*), black-tailed godwit (*Limosa limosa*) common kestrel (*Falco tinnunculus*), glossy ibis *(Plegadis falcinellus*), yellow wagtail *(Motacilla flava*), baya weaver (*Ploceus philippinus*), magpie-robin (*Copsychus saularis),* etc*;*

AND WHEREAS, rohu (*Labeo rohita*), bum (*Anguilla anguilla*), catla (*Catlacatla),*katva (*Rita rita*), magur (*Clarias batrachus*), patola (*Notopoterus chitala*), etc. are the freshwater fishes found in the Chaprala Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the species of butterflies and moths available in the Chaprala Wildlife Sanctuary are spot sword tail, tailed jay, blue mormon, common mime, psyche, yellow orange trip, Indian cabbage white, the pioneer, lemon emigrant, common acacia blue, zebra blue, common cerulean, pale grass blue, the common bush brown, common hedge blue, dark band bush brown, dark evening brown, nigger, baronet, black rajah, tabby, grey pansy, angled castor, danaid egg fly, common tiger, glassy tiger, dark palm dart, grass demon, blank swift, etc;

AND WHEREAS, the extremely close vicinity of the above-mentioned Sanctuary to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Chaprala Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act)read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to 5.0 kilometres around the boundary of Chaprala Wildlife Sanctuary, in Gadchiroli districts in the State of Maharashtra as the Chaprala Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafterin this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of the Eco-sensitive Zone. –** (1)The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of zero to 5.0 kilometresaround the boundary of Chaprala Wildlife Sanctuaryand the area of the Eco-sensitive Zone is 166.55square kilometres.

 (The Eco-sensitive Zone on Western side of the Sanctuary is kept zero due to Pranhita River and Telangana State Border and on South-Western side is due to village area of Ashti and Yellur. Thereafter, Cainganga River flows along the boundary of these villages).

 (2) The boundary description of Chaprala Wildlife Sanctuaryand its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

 (3) The maps of the Chaprala Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Chaprala Wildlife Sanctuaryand the Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III.**

(5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department; and
(xii) Maharashtra State Pollution Control Board.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.-(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall

IndiaCode

be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.-Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.-Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.-Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.–Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.-The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.-The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.-Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act,1986 and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	New wood based industry.	Prohibited.

IndiaCode

9.	Use of polythene bags.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.

18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Fencing of existing premises of new hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Wind mills and Turbines.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	The District Collector , Gadchiroli	Chairman, ex- officio;
(ii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iii)	A representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra	Member;
(iv)	A representative of the Town Planning Office, Gadchiroli	Member;
(v)	One expert in Ecology and Environment from reputed institution or university of the State	Member;
(vi)	One member of State Biodiversity Board	Member;
(vii)	Regional Officer, Maharashtra State pollution Control Board, Mumbai	Member;
(viii)	A representative each of Revenue/ Police/P.W.D./ Industries /Water resources/urban development & Rural development of Government of Maharashtra	Member;
(ix)	Sub Divisional Forest Officer (Wildlife), Allapalli	Member;
(x)	Divisional Manager, Markhanda Forest Development Corporation of Maharashtra Limited (FDCM)	Member;
(xi)	The Deputy Conservator of Forests (Territorial), Allapalli	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure-V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

IndiaCode

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/23/2017-ESZ]

DR SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

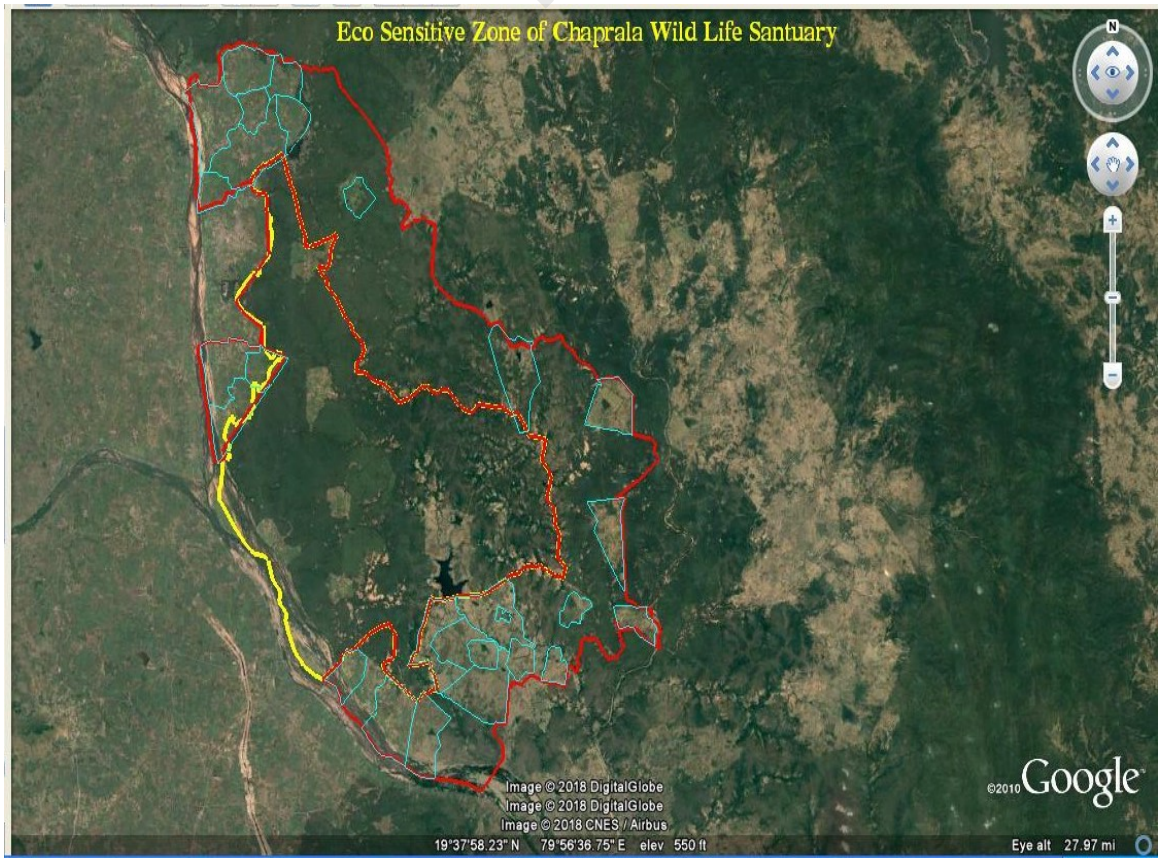
ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF CHAPRALA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE OF MAHARASHTRA

Eco-sensitive Zone boundary starts From junction of Wainganga river of Western site co- ordinate baring latitude 19°43'26" N, longitude 79°47'04 "E and then bends to the North East direction up to Rampur & Kanholi village junction point of Eastern side. Then bends to the North Eastern direction up to Umari and Kanholi village boundary junction point of Southern site. Then it bends towards north to the C. No. 188 and then continues towards C. No.223 & 225 junction point of Eastern side. Then, it bends towards north- south direction up to the boundary of C. no. 290 and Lohara village. Then, it turns towards the south direction up to boundary of C.N.344 and Mallera Village. Then it continues straight towards the C. No. 597, 594 in southern direction. Then it bends towards the Tumargunda village boundary and C. No.592 in a Western direction. Then it crosses the Allapalli -Chadrapur road (S.H) and then bends towards the south on junction point of Co. no. 588 and 887. Then it turns back towards the northern side along the boundary of Pranhita river up to C. No. 241 and 242. Then it turn back toward the Northern side to Illuer Village boundary. Then it bend to east toward Asti –Nokewada Village. Then it turns back towards the northern site along Wainganga River up to the starting point.

ANNEXURE- IIA

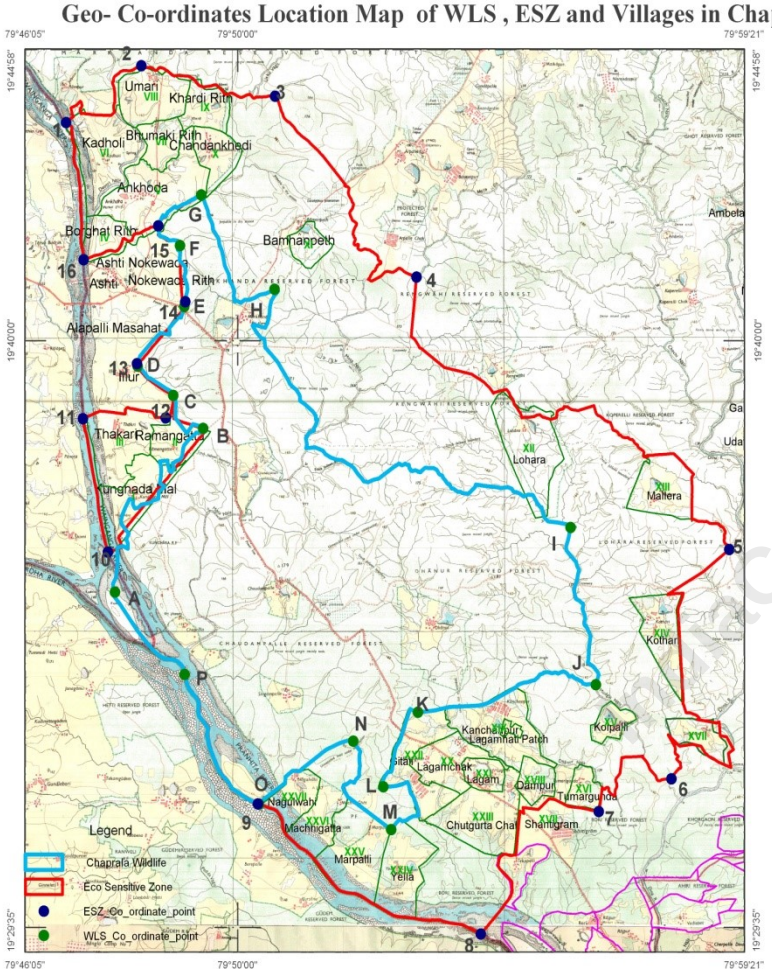
GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHAPRALA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHAPRALA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

Geo- Co-ordinates Location Map of WLS , ESZ and Villages in Chaprala wild Life Sanctuary



List of Co-ordination of WLS and ESZ

Chaprala WLS			Chaprala ESZ		
Sr. no.	Longitude	Latitude	Sr. no.	Longitude	Latitude
A	79.47.47	19.35.35	1	79.46.59	19.43.35
B	79.49.33	19.38.21	2	79.48.19	19.44.31
C	79.48.56	19.41.38	3	79.50.47	19.43.57
D	79.48.59	19.40.36	4	79.53.21	19.40.58
E	79.48.10	19.39.34	5	79.59.06	19.36.12
F	79.48.48	19.39.04	6	79.57.58	19.32.26
G	79.55.34	19.31.57	7	79.56.51	19.31.52
H	79.49.23	19.42.22	8	79.54.35	19.29.50
I	79.50.42	19.40.51	9	79.50.22	19.32.10
J	79.55.59	19.36.45	10	79.47.35	19.36.27
K	79.56.42	19.34.04	11	79.47.11	19.38.37
M	79.52.40	19.32.15	12	79.48.40	19.38.46
N	79.52.52	19.31.34	13	79.48.06	19.39.38
O	79.52.06	19.33.06	14	79.49.01	19.40.40
P	79.50.25	19.32.02	15	79.48.32	19.41.55
			16	79.47.13	19.41.28

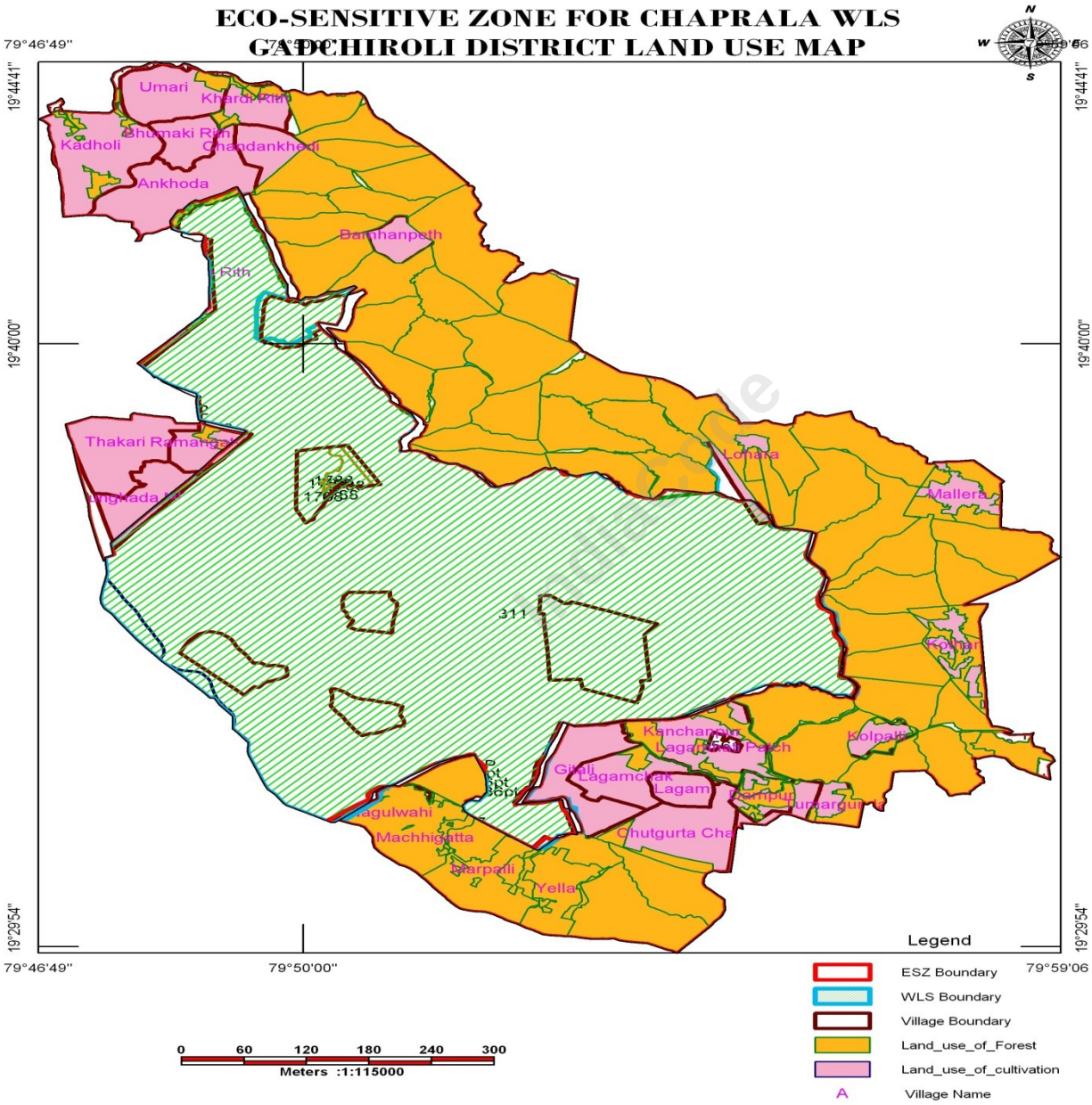
List of Geo-co-ordinates of villages of ESZ Chaprala WLS

Sr. No.	Taluka	Village	Non Forest Area (ha.)	Forest Area (ha.)	Latitude (E)	Longitude (N)
1	2	3	4	5	6	7
MARKHANDA RANGE						
I	Chamorshi	Kunghada	336.12	3.88	79.48°07.1	19.37°20.9
II	Chamorshi	Ramangatta	192.89	5.11	7948°50.8	19.38°16.8
III	Chamorshi	Thakari	366	0	79.47°43.9	19.38°19.8
IV	Chamorshi	Borghat	255	0	79.51°05.4	19.41°43.0
V	Chamorshi	Ankhoda	552.55	21.45	79.48°25.2	19.42°38.3
VI	Chamorshi	Kanholi	447.64	25.36	79.47°25.8	19.43°18.1
VII	Chamorshi	Bhumki	165	0	79.48°30.9	19.43°24.9
VIII	Chamorshi	Umari	285.85	25.15	79.48°22.0	19.44°13.3
IX	Chamorshi	Khardi	137.51	51.49	79.49°21.7	19.44°03.8
X	Chamorshi	Chandankhedi	158.99	67.01	79.49°31.2	19.43°13.6
XI	Chamorshi	Bamanpeth	131	123.5	79.51°19.2	19.41°34.5
XII	Mulchera	Lohara	46.54	416.46	79.55°26.6	19.37°56.3
XIII	Mulchera	Mallera	125.51	187.49	79.57°48.6	19.37°26.6
XIV	Mulchera	Kothari	113.67	173.33	79.51°53.4	19.35°01.6
XV	Mulchera	Kolpalli	84.48	23.52	79.56°48.6	19.33°34.8
Aheri Range						
XVI	Mulchera	Tumargunda	35.89	76.11	79.56°19.5	19.32°20.5
XVII	Mulchera	Singampeth	88.5	71.5	79.58°17.4	19.33°21.0
XVIII	Mulchera	Dampur	48.43	86.57	79.55°24.2	19.32°33.6
XIX	Mulchera	Kanchanpur	440	0	79.54°20.0	19.33°40.1
XX	Mulchera	Lagam Chak	223.04	40.96	79.53°42.6	19.32°47.3
XXI	Mulchera	Lagam	119	0	79.54°30.1	19.32°30.6
XXII	Mulchera	Gitali	375	0	79.53°14.1	19.32°59.1
XXIII	Mulchera	Chutugurtha	377.76	78.24	79.54°31.3	19.31°55.0
XXIV	Mulchera	Yella	179.42	116.58	79.52°59.2	19.30°57.3
XXV	Aheri	Marpalli	98.88	176.12	79.51°59.8	19.31°09.8
XXVI	Mulchera	Machigattha	111.24	34.76	79.51°21.2	19.31°49.6
XXVII	Mulchera	Nagulwahi	112.19	10.81	7.50°55.6	19.32°05.7
Total of Allapalli Forest Division			5899.11	1691.89		

0 600 1200 1800 2400 3000
Meters 1:310000

ANNEXURE- IIC

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHAPRALA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF CHAPRALA WILDLIFE SANCTUARY

Sr. No	Point	Latitude	Longitude
1	A	19°35'35" N	79°47'47" E
2	B	19°38'21"N	79°49'33" E
3	C	19°42'22"N	79°49'23" E
4	D	19°40'51"N	79°50'42" E
5	E	19°36'45"N	79°55'59" E
6	F	19°34'04"N	79°56'42" E
7	G	19°32'15"N	79°52'40" E
8	H	19°31'34"N	79°52'52" E
9	I	19°33'06"N	79°52'06" E
10	J	19°32'02"N	79°50'25" E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sr. No	Point No	Latitude	Longitude
1	From junction of Allapalli & Wainganga river	19°43'26" N	79°47'04" E
	Rampur & kanholi	19°43'49" N	79°47'48"E
2	Umari & kanholi	19°43'49" N	79°47'48" E
	C.No. 188	19°44'19" N	79°47'47" E
3	C.No.188 & Umari	19°44'19" N	79°47'47 "E
	C.No.223 & 225	19°44'06" N	79°50'48" E
4	C.No. 223 & 225	19°44'06" N	79°50'48" E
	C.No. 290 & Lohara	19°38'38" N	79°55'23" E
5	C.No.290 & lohara	19°38'38 "N	79°55'23" E
	C.No.344 & Mallera	19°31'55" N	79°56'45 "E
6	C.No. 344 ,345 & Mallera	19°31'55" N	79°56'45" E
	C.No.597,594	19°32'49" N	79°57'34 "E
7	C.No.597,594	19°32'49" N	79°57'34" E
	Tumargunda & C.No. 592	19°31'55" N	79°56'45" E
8	Tumargunda & C.No. 592	19°29'51" N	79°56'45 "E
	C.No. 588 & 590	19°31'55" N	79°54'34 "E
9	C.No. 588 & 887	19°31'55" N	79 °54'34" E
	C.No. 241, 242	19°35'48" N	79°47'47 "E

IndiaCode

10	C.No. 241, 242	19°31'55" N	79°54'34" E
	Thakari & illur	19°38'38" N	79°48'33" N
11	Illur	19°38'38" N	79°48'33" N
	Ankhoda & Ashti Nokewada	19°47'47" N	79°48'19 "N
12	Ankhoda & Ashti Nokewada	19°47'47 "N	79°48'19" N
	Ankhoda	19°41'19" N	79°47'15 "N
13	Ankhoda	19°41'19" N	79°47'15 "N
	Kanholi & Rampur	19°43'26" N	79°47'04 "N

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF CHAPRALA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sr. No	Taluka	Villages	Latitude	Longitude
1	Chamorshi	Kunghada	19°37’16.1” N	79°47’57.6” E
2	Chamorshi	Ramangatta	19°38’17.6” N	79°48’47.6” E
3	Chamorshi	Thakari	19°38’14.1” N	79°47’43.6” E
4	Chamorshi	Bamanpeth	19°41’41.0” N	79°51’08.1” E
5	Chamorshi	Bhumki	19°43’23.1” N	79°48’36.4” E
6	Chamorshi	Umari	19°44’09.6” N	79°48’19.6” E
7	Chamorshi	Ankhoda	19°42’31.0” N	79°48’22.1” E
8	Chamorshi	Kanholi	19°43’07.0” N	79°47’23.0” E
9	Chamorshi	Chandankhedi	19°43’09.8” N	79°49’29.6” E
10	Chamorshi	Khardi	19°43’54.9” N	79°49’27.8” E
11	Mulchera	Mallera	19°37’27.6” N	79°57’52.5” E
12	Mulchera	Kashipeth	19°33’52.7” N	79°57’39.9” E
13	Mulchera	Kothari	19°35’00.1” N	79°57’49.0” E
14	Mulchera	Kolpalli	19°33’28.2” N	79°56’54.8” E
15	Mulchera	Lohara	19°38’08.2” N	79°55’20.5” E
16	Mulchera	Kanchanpur	19°33’32.1” N	79°54’37.1” E
17	Mulchera	LagamChak	19°33’02.4” N	79°53’58.3” E
18	Mulchera	Lagam	19°32’36.8” N	79°54’38.2” E
19	Mulchera	Kakargatta	19°33’31.4” N	79°53’41.6” E
20	Mulchera	Gitali	19°32’40.0” N	79°53’04.5” E
21	Mulchera	Chutuguntha	19°31’51.8” N	79°54’23.5” E
22	Mulchera	Tumargunda	19°32’18.0” N	79°56’24.4” E
23	Mulchera	Dampur	19°32’31.6” N	79°55’26.4” E
24	Mulchera	Singampeth	19°33’17.7” N	79°58’16.3” E
25	Mulchera	Yella	19°31’10.2” N	79°52’58.2” E

IndiaCode

26	Aheri	Marpalli	19°31'16.8" N	79°52'06.5" E
27	Mulchera	Machigattha	19°31'41.3" N	79°51'27.0" E
28	Mulchera	Nagulwahi	19°32'11.3" N	79°50'59.4" E

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2023.12.29 14:00:16 +05'30'